

To Provide Compensation to the Farmers

*11 **Sh. JAIVEER SINGH (Kharkhoda):-**

Will the Energy Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide compensation to the farmers upon installing the high tension line on their land togetherwith the details thereof?

Ranjit Singh, Energy Minister

Sir, there is already a compensation policy notified by Government of Haryana vide Notification dated 9th March 2022 to provide compensation to the farmers upon installing the new high tension line on their land.

The salient provisions of the policy are as under:-

(i) Crop Compensation:

Compensation is being paid to the farmers for damage caused to their crops at the following three stages:

1. Casting of Tower Foundation
2. Erection of Transmission Tower
3. Stringing of Conductor

(ii) Compensation for diminution in value of land due to erection of Transmission Line:

Compensation @ 100% of the Collector Rate of Land for Base Area of Tower (i.e. between four legs of Tower) shall be given without acquisition of land.

किसानों को मुआवजा प्रदान करना

*11 श्री जयवीर सिंह (खरखोदा):

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बताएंगे कि क्या किसानों को उनकी जमीन पर हाई टेंशन लाइन लगाने पर मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

रणजीत सिंह, ऊर्जा मंत्री

श्रीमान् जी, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2022 के तहत पहले से ही एक मुआवजा पॉलिसी अधिसूचित की गई है, जिसके तहत किसानों की जमीन पर नई हाई टेंशन लाइन लगाने पर उनको मुआवजा दिया जाता है।

इस पॉलिसी के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं:

(i) **फसल का मुआवजा:**

किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए उनको मुआवजे का भुगतान निम्नलिखित तीन चरणों में किया जा रहा है:

1. टावर फाउंडेशन की कास्टिंग
2. प्रसारण टावर का इरेक्शन
3. कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग

(ii) **प्रसारण लाइन बिछाने के कारण भूमि के मूल्य में कमी के लिए मुआवजा:**

टावर के बेस एरिया (यानी टावर की चारों लैग के बीच) के लिए भूमि का मुआवजा कलेक्टर रेट के 100% की दर पर भूमि अधिग्रहण के बिना दिया जाएगा।